घोषणा पत्र :महिलाओं के यौन सम्बन्धित अधिकार

यह घोषणा महिलाओं के यौन सम्बंदित अधिकारों को पुनः स्थापित करता है . इसके अंतर्गत महिलाओं के शारीरक और प्रजनन अधिकारों और उनके खिलाफ मातृत्व अधिभार और अन्य प्रथाओं के कारण किये गए भेद भाव का वर्णन करता है. यह भेद भाव "यौन" और "लिंग पहचान" जैसे शब्दों के प्रयोग में बदलाव का नतीजा है.

परिचय:

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के बहिष्कार को रक्त करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दिसंबर १८, १९७९ में एक सम्मेलन में कन्वेंशन ऑन तह एलिमिनेशन ऑफ़ आल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन (CEDAW) का अभिग्रहण किया. यह CEDAW कमिटी जनरल रेकमेंडेशन्स में परिवर्तित हुआ और यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑन तह एलिमिनेशन ऑफ़ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन १९९३ (UNDEVW) में अभिग्रहित किया गया. इस डिक्लेरेशन में प्रस्तुत किये गए महिलाओं के यौन सम्बंदित अधिकारों को यह घोषणा पत्र पुनः स्थापित करता है.

CEDAW के आर्टिकल १ के तहत महिलाओं के प्रति भेद भाव की परिभाषा निम्न है:

"यौन के आधार पर किसी भी तरह का भेद भाव, रोक टोक या बहिष्कार जिसके कारण महिलाओं के, वैवाहिक स्तिथि के निरपेक्ष, पुरुष और महिला को समान दर्जा देते हुए, आर्थिक, सामाजिक,नैतिक, सांस्कृतिक या कोई भीं मानव अधिकार रक्त हो."

यौन : यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा- "शारीरिक और जैविक विशेषताएं जिनसे पुरुष और महिला में अंतर हो" (Gender Equality Glossary, UN Women)

CEDAW स्टेट पार्टीज पर यह दाइत्व रखता है की वो "उपयुक्त कदम उठाकर ऐसे हर कानून, प्रथा और नियम का संशोधन करें या उन्हें रक्त करें जो महिलाओं के प्रति भेद भाव गठित करता है. (आर्टिकल 2 (f)) स्टेट पार्टीज पर यह भी दाइत्व है की हर क्षेत्र में, विधान समेत, "उपयुक्त कदम उठाएं, जिस से महिलाओं की उन्नति और प्रगति हो और वह अपना मानव अधिकार और मौलिक स्वतन्त्रा का, पुरुषों के समान, उपयोग कर पाएं." (आर्टिकल 3).

इस बात की समझ लोगों को बहुत समय से है की महिलाओं और पुरुषों की नियमित भूमिकाएं, महिलाओं के प्रति असमानता का कारण है और इन्हें रक्त कर देना चाहिए.

CEDAW के आर्टिकल ५ के तहत:

स्टेट पार्टीज उपयुक्त कदम उठाएं "जिससे पुरुषों और महिलाओं के ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक आचरणों का संशोधन हो जो लिंग की हीनता या श्रेष्ठता या लिंग की नियमित भूमिकाओं पर आधारित हो. इस से लिंग के प्रति पक्ष पात रक्त हो."

(Gender Equality Glossary, UN Women) में लिंग की परिभाषा "ऐसी भूमिकाएं, कर्म, हाव भाव जो एक समाज एक निर्धारित समय पर महिलाओं और पुरुषों के लिए उचित समजता है. यह गुण, रिश्ते नाते और सुयोग समाज के बनाये तौर तरीके हैं और यह सामाजिक क्रिया से सीखे जाते हैं."

हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के कागजातों, कूट नीतियों और कार्यों में, यौन (जो जैविक है)शब्द के बदले लिंग (जो नियमित भूमिकाओं पर आधारित है) शब्द का प्रयोग करने से अव्यवस्ता उत्पन्न हुई है. इस से महिलाओं के मानव अधिकार खोकले हो सकते हैं.

“यौन” और लिंग के शब्द प्रयोग में अव्यवस्ता का परिणाम यह है के अब "लिंग पहचान" जैसे विचारों को स्वीकार किया जा रहा है. अंतराष्टीय कागजातों में "लिंग पहचान" तथा” Sexual Orientations and Gender Identities (SOGIES) जैसे विचारों के उपयोग से महिलाओं के अधिकार , जो यौन पर आधारित हैं, प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे विचार महिलाओं के अधिकारों को खोकला करते हैं.

समान यौन के व्यक्ति से आकर्षित होने वालों के प्रति भेद भाव रक्त करने के लिए "यौन लैंगिक रुझान" (sexual orientation) अधिकार आवश्यक हैं. यह अधिकार महिलाओं के यौन सम्बंदित अधिकार और समलैंगिक स्त्री जो अन्य स्त्री से आकर्षित है, उनके अधिकारों के लिए आवशयक है.

परन्तु "लिंग पहचान" जैसे विचार, समाज के घिसे पिटे नियम , महिलाओं को आवशयक और प्राकृतिक हालातों में रख कर उनके अधिकारों को असमानता का शिकार बना देती हैं .

उदाहरण: योगकर्ता के मूल के अनुसार "लिंग पहचान" हर इंसान के अपने लिंग के प्रति अंदरूनी एहसास है जो जन्म के समय सौंपे गए लिंग से जुडी या बिछड़ी हो सकती है. उसके शरीर के प्रति उसका व्यक्तिगत बोध (जिसके आकर या कार्य में, दवाई या सर्जरी से , अपनी इच्छा से संशोदन हो), और अन्य लिंग अनुसरण, वार्तालाप, श्रृंगार और हाव भाव भी इसमें शामिल है. (Yogyakarta Principles: Principles on the application of internationals human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, March 2007).

श्रृंगार करना और अपनी इच्छा अनुसार खुद को पेश करने का व्यक्तिगत अधिकार महिलाओं के अधिकारों के संगत है.

परन्तु "लिंग पहचान" जैसे विचारों के कारण वह पुरुष जो महिला के लिंग से पहचान करते हैं, वह नियम, प्रथा और कानून से महिला (जो यौन पर आधारित है) होने का जोर देते हैं.

CEDAW के जनरल रिकमेन्डेशन नो. ३५ इस बात को ध्यान में रखती है के " जनरल रिकमेन्डेशन नो २८ , स्टेट पार्टीज के मुख्य दायित्वों को कन्वेंशंस के आर्टिकल २ और जनरल रेकमेंडेशन्स नो. ३३ जो महिलाओं के न्याय हासिल करने का अधिकार है यह स्थायी करती है के महिलाओं के प्रति बहिष्कार उनके जीवन के अनेक पहलुओं से जुडी है. इसमें, समिति की जुरीसप्रूडेंस, समलैंगिक होने को भी शामिल करती है.” (II, 12).

"लिंग पहचान" जैसी धारणाएं एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास को यौन के बल बूते पर स्थापित करने की चुनौती देती है.इस से पुरुष जो महिला होने का पहचान करते हैं वह समलैंगिक वर्ग में शामिल हो जाते हैं. इस से समलैंगिकों के यौन अधिकार नज़र अंदाज़ होते हैं . यह महिलाओं के प्रति बहिष्कार का रूप है.

कुछ पुरुष जो महिला लिंग से पहचान करने का दावा करते है, यह चाहते हैं के उन्हें कानूनन माँ का दर्जा दिया जाए. CEDAW मात्र अधिकार और "मातृत्व के सामाजिक महत्त्व" पर जोर देती है. मातृत्व अधिकार महिलाओं के गर्भावधि और जन्म देने के अद्वितीय क्षमता पर आधारित है. इसमें पुरुषों, जो

महिला होने से पहचान करते हैं , को कानूनन शामिल करना "मातृत्व के सामाजिक महत्त्व" को क्षति पहुंचाती है और मातृत्व के अधिकार, जो CEDAW प्रदान करती है, को नज़र अंदाज़ करती है.

बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफार्म फॉर एक्शन (१९९५) यह घोषित करती है के " महिलाओं को अपने स्वास्थ्य से सम्बंदित , मुख्या पूर्वक उपजाउन से सम्बंदित हर पहलु पर नियंत्रण रखने का अधिकार है. यह उनके सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है.इन अधिकारों को यह डिक्लेरेशन मान्यता देकर पुनः स्थापित करती है." (Annex 1, 17)

मातृत्व का अधिभार (surrogate motherhood) जैसी प्रथाएं इस अधिकार को कमजोर करती हैं. यह प्रथा महिलाओं के प्रजनन क्षमता को एक उत्पाद बना देती है.

महिलाओं के प्रजनन क्षमता का शोषण करना और उसे उत्पाद बनाना ऐसी चिकित्सा अनुसन्धान को भी मजबूत करती है जिनका नेतृत्व पुरुषों को गरबित और जन्म देने के काबिल करना है.

पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं उन्हें महिला , समलैंगिक या माँ के वर्ग में कानूनन शामिल करना , इन वर्गों के अर्थ को ख़त्म करना है और महिलाओं के जैविक वास्तविकताओं , जिस पर एक महिला , समलैंगिक या माँ होना निर्भर है, को नज़र अंदाज़ करना है.

ऐसे संघटन जो "लिंग पहचान" जैसे विचारों को प्रोत्साहन देते हैं, महिलाओं को अपने यौन से पहचान करने और यौन सम्बंदित रूचि से एकत्रित होने के अधिकार को चुनौती देते है. समलैंगिकों के यौन अभिविन्यास के अधिकार ,जो की यौन पर और न की "लिंग पहचान" पर आधारित हैं, और सामान्य यौन अभिविन्यास रूचि से एकत्रित होने के अधिकार को भी चुनौती देते है.

बहुत से देशों में स्टेट एजेंसीज, सार्वजानिक निकायों और प्राइवेट संघटनों में लोगों को "लिंग पहचान " से और न की "यौन" से व्यक्तियों की पहचान करने पे मज़बूर कर रहे हैं . ऐसे परिवर्तन महिलाओं के प्रति बहिष्कार और महिलाओं के अभ्व्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और सदन की स्वतंत्रता का बहिष्कार करती है.

पुरुष जो महिला "लिंग पहचान " का दावा करते हैं , उन्हें ऐसे अधिकार और अवसर दिए जा रहे हैं जो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गए हैं. यह एक तरह से महिलाओं के प्रति बहिष्कार और उनके सुरक्षा ,गौरव और समानता के मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाता है.

CEDAW के आर्टिकल ७,जो महिलाओं के प्रति नैतिक और सामान्य जीवन में बहिष्कार रक्त करने के उपाय हैं , उनको महत्वपूर्ण मानती हैं और आर्टिकल ४, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता में तेजी लाने के अल्पकालिक , विशेष उपाय हैं, उनको भी महत्वपूर्ण मानती है. जब पुरुष जो महिला "लिंग पहचान " का दावा करते हुए महिलाओं के भागीदारी कोटास और अन्य विशेष उपाईयों में , जो महिलाओं के नैतिक और सामान्य जीवन में भागीदारी बढ़ाने के लिए बनाये गए हैं , शामिल होते हैं तब इन विशेष उपाईयों के मायने जो की महिलाओं को समानता देने के लिए बनाये गए हैं , नज़रअंदाज़ होते हैं.

CEDAW के आर्टिकल १०(ग) के तहत स्टेट पार्टीज पर यह दाइत्व है की वह महिलाओं को सामान्य अवसर दे जिस से वह पुरुषों के समान खेल कूद और शारीरिक शिक्षा में भाग ले सकें. पुरुषों और महिलाओं में मानसिक अंतर के कारण , महिलाओं को इन अवसरों का उपयोग करने के लिए, यह ज़रूरी है के कुछ

खेल एकल सेक्स हों. जब पुरुष जो महिला "लिंग पहचान " का दावा करते हुए इन एकल सेक्स खेलों में भाग लेते हैं तो यह महिलाओं को अनुचित प्रतियोगिता में रखता है और उन्हें शारीरिक चोट पहुँचने की भी संभावना होती है. इस से महिलाओं और लड़कियों के, पुरुष के समान खेल में भाग लेने के सामान्य अवसर नज़र अंदाज़ होते है. यह एक प्रकार से महिलाओं के प्रति बहिष्कार है जिसे रक्त करना आवश्यक है.

मानव अधिकार के क्षेत्र में इस बात की समज बहुत पहले से है की महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा विश्व स्थानिक है और एक महत्वपूर्ण सामाजिक तरीका है जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन होने पर मजबूर करती है.

यूनाइटेड नेशंस के एलिमिनेशन ऑफ़ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन में इस बात को मान्यता दी जाती है के " महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कारण ऐतिहासिक है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान्य रिश्तों के वजह से है. इस से पुरुष महिलाओं पर डोमिनेशन और उनके प्रति बहिष्कार करते आ रहे हैं जिस से महिलाओं की प्रगति में रुकावट हुई है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक महत्वपूर्ण सामाजिक तरीका है जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन होने पर मजबूर करती है."

यह डोमिनेशन और बहिष्कार "यौन " पर और न की "लिंग पहचान" पर आधारित है.

"यौन" और "लिंग पहचान " के समिश्रण से, पुरुषों या बालकों द्वारा महिलाओं या बालिकाओं पर हो रही हिंसा से बचाने के लिए दी गयी सुरक्षा बाधित हो रही है. इस से पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, उन्हें तेजी से, पीड़ित महिलाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए बनाये गए एकल सेक्स सेवाओं का उपयोग लेने या देने के स्थान प्रदान करती है. इस में विशेष एकल सेक्स सेवाएं जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए बनायीं गयी है जैसे की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और आश्रय भी शामिल हैं. इसमें शरीरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, गोपनीयता और महिलाओं और बालिकाओं के गौरव को ध्यान में रखते हुए और बढ़ावा देने के लिए बनायीं गयीं एकल सेक्स सेवाएं भी शामिल हैं. पुरुषों का ऐसे एकल सेक्स जगहों पर उपस्थित होना ऐसी सेवाओं के मायनों को नज़र अंदाज़ करता है और महिलाओं को हिंसक पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का शायद दावा करते हैं,उनके भेद्य बना सकता है.

CEDAW कमिटी अपने जनरल रिकमेन्डेशन ३५ के तहत महिलाओं के खिलाफ हो रहे कई तरह के हिंसाओं का डाटा संग्रह और आँखड़े संगृहीत करने को महत्वपूर्णता देती है जिस से इन्हें रोकने के प्रभावशाली उपाय बनाये जा सकते हैं

"यौन विसमूहन डाटा ऐसी डाटा है जो यौन से क्रॉस क्लासिफाइड है और पुरुषो, महिलाओं, बालकों और बालिकाओं की जानकारी अलग -अलग देती है. यह डाटा सारे वर्गों की भूमिकाएं, उनके असली हालत और उनके हर सामाजिक स्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाती है . जब डाटा "यौन विसमूहन " नहीं होता है तब असली समस्याओं और असमान्यताओं को समझना मुश्किल होता है.

"यौन" और "लिंग पहचान" के समिश्रण के कारण महिलाओं और लड़िकियों पे हुए हिंसा का डाटा संग्रह सही नहीं होता है क्यूंकि यह हिंसकों को "लिंग पहचान " के बलबूते पर पहचानता है न की " यौन" के बलबूते पर. इस से प्रभावशील कानून, नीतियों और कार्यों ,जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा रक्त करने की कोशिश में जुटे हैं ,में बाधा आती है.

"लिंग पहचान" जैसे विचारों के कारण तेजी से उन बच्चों पर जो लिंग के स्टीरियोटाइप में नहीं आते हैं या जिन्हे "लिंग डिस्फोरिआ " होने का निदान है , "लिंग पुनर्मूल्याकां " जैसे तरीके उपयोग किये जाते हैं . ऐसे चिकित्सा हस्ताक्षेप का उस बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर दुर्प्रभाव पढ़ सकता है. यौवन को दबाने वाले होर्मोनेस ,क्रॉस सेक्स होर्मोनेस अथवा सर्जरी का प्रयोग बच्चों पर किया जात्ता है. यह बच्चे पूर्ण रूप से अपनी सहमति देने के काबिल नहीं होते हैं . ऐसे चिकित्सा हस्ताक्षेप से उनके शारीरिक स्वास्थ्य,बांझपन तथा मानसिकता पर गलत प्रभाव पढ़ सकता है.

प्रस्तावना:

समानता की तरफ प्रतिबद्धता और पुरुषों और महिलाओं के लिए मौलिक मानव गौरव और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में वर्णित अन्य सिद्धांतों , मानव अधिकारों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और अन्य अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार उपकरण ,विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ बहिष्कार को रक्त करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन (CEDAW), और बच्चों के हक़ के लिए यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन (UNCRC) और महिलाओं के खिलाफ हिंसा रक्त करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन, प्रगति के हक़ पर यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन , स्वदेशी लोगों के हक़ पर यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ,महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए यूरोप कन्वेंशन में आयोजित कौंसिल(“Istanbul Convention’’), मानव अधिकार पर आधारित अफ्रीकन चार्टर जो अफ्रीकन लोगों के हक़ और अफ्रीकन महिलाओं के हक़ का प्रोटोकॉल (“Maputo Protocol’’), और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और दंडित करने के लिए अंतर अमेरिकन कन्वेंशन (“Belem do Para Convention’’) को ध्यान में रखते हुए.

महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होकर और उनके अधिकारों को मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों से अविच्छेद्य ,अविभाज्य और अभाज्य मानकर पुनः स्थापित करते हुए.

इस से पहले हुए यूनाइटेड नेशंस के अंतराष्ट्रीय कॉन्फरेन्सेस और समितियों की प्रगति और आम सहमति को स्वीकार करते हुए, जिसमें १९७५ में मेक्सिको में हुए अंतराष्ट्रीय महिला वर्ष , १९८० में कोपेनहेगेन में हुए यूनाइटेड नेशंस महिला दशक, १९८५ में नैरोबी में हुए यूनाइटेड नेशंस महिला दशक, १९९० में नू यॉर्क में बच्चों पर हुई विश्व समिति ,१९९२ में रिओ डी जानीरो में वातावरण और प्रगति पर हुई पृथ्वी समिति, १९९३ में विएना में मानव अधिकारों पर हुई विश्व कांफ्रेंस ,१९९४ में कैरो में जनसँख्या और प्रगति पर हुई अंतराष्ट्रीय कांफ्रेंस, १९९५ में कोपेनहेगेन में सामाजिक प्रगति पर हुई विश्व समिति, और १९९५ में बीजिंग में महिलाओं का विश्व कांफ्रेंस, जो समानता, प्रगति और शान्ति के लिए हुई ,भी शामिल हैं.

इस बात को पहचानते हुए की यूनाइटेड नेशंस के पहले कुछ दशकों में इस बात की साफ़ समज थी की महिलाओं के प्रति बहिष्कार "यौन" पर आधारित है.

इस बात पर गौर करते हुए के यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकार नीतियां, समझौते, दस्तावेज और कार्य इस बात को पहचानते हैं की यौन की भूमिकाओं पर आधारित स्टीरियोटाइप, जो अब आम तौर पर "लिंग स्टीरियोटाइप" कहलाते हैं, वह महिलाओं और बालिकाओं के लिए हानिकारक हैं.

इस बात को पहचानते हुए के यौन पर आधारित भूमिकायें अब लिंग शब्दों के इस्तमाल से उलझन पैदा करती हैं.

इस बात पर चिंतित होते हुए के "लिंग पहचान" जैसे विचारों को ऐसे अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तवेजों में शामिल किया जा रहा है जो प्रभावशाली हैं पर अनिवार्य नहीं.

इस बात का ध्यान रखते हुए की "यौन" के बदले "लिंग" शब्द के उपयोग के कारण "लिंग पहचान" जैसे विचारों को बढ़ावा प्राप्त हुआ है. ऐसे विचारों में यौन स्टीरियोटाइप को अनिवार्य और जन्मजात माना गया है जिसकी वजह से महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों से जो फायदा हो सकता है उसमें कटाव हो रहा है.

इस बात पर चिंतित होते हुए की पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हुए कानून, निति और प्रथाओं में यह जताते हैं की वह महिला वर्ग के सदस्य हैं, इसका परिणाम महिलाओं के मानव अधिकारों में कटाव होता है.

इस बात पर चिंतित होते हुए की पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हुए कानून, निति और प्रथाओं में यह जताते हैं की यौन अभिविन्यास "लिंग पहचान" पर आधारित है और "यौन" पर नहीं और समलैंगिक वर्ग में शामिल होने की चेष्टा करते हैं, इसका परिणाम यौन पर आधारित समलैंगिकों के मानव अधिकारों में कटाव होता है.

इस बात पर चिंतित होते हुए की पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हुए कानून, निति और प्रथाओं में यह जताते हैं की वह माँ के वर्ग में शामिल हैं ,इस से मातृत्व के सामाजिक विशेषता नज़र अंदाज़ होती है और मातृत्व अधिकार में कटाव होता है.

इस बात पर चिंतित होते हुए की महिलाओं की प्रजनन क्षमता का शोषण और उत्पाद , मातृत्व अधिभार को मजबूत बनाता है.

इस बात पर चिंतित होते हुए के महिलाओं की प्रजनन क्षमता का शोषण और उत्पाद, ऐसे चिकित्सा अनुसन्धान को मजबूत बनाता है जो पुरुषों को गरब धारण करने और जन्म देने में बढ़ावा देती है.

इस बात पर चिंतित होते हुए के कुछ संघटन जो "लिंग पहचान" जैसे विचारों को बढ़ावा देते हैं, वह "लिंग पहचान" पर दृष्टि कोण को सिमित करते हैं. इनका प्रयत्न यह होता है की स्टेट एजेंसीज, सार्वजनिक निकाएँ और प्राइवेट संघटनें प्रतिबंधों और दंड का प्रयोग कर, लोगों को मजबूर करते हैं की वह व्यक्तियों की पहचान "लिंग" से करें न की "यौन" से.

इस बात पर चिंतित होते हुए की "लिंग पहचान" जैसे विचार महिलाओं और बालिकाओं को यौन पर आधारित इक्कट्ठता और सहयोगयता के अधिकारों को नज़र अंदाज़ करता है और उन्हें पुरुष, जो महिला "लिंग पहचान " का दावा करते हैं, को शामिल करने पर मजबूर करता है.

इस बात पर चिंतित होते हुए की "लिंग पहचान" जैसे विचार समलैंगिकों के यौन पर आधारित यौन अभिविन्यास को नज़र अंदाज़ करता है और इस पर आधारित उनके इक्कट्ठता और सहयोगयता के अधिकारों को नज़र अंदाज़ करता है और उन्हें पुरुष, जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, को शामिल करने पर मजबूर करता है.

इस बात पर चिंतित होते हुए की उन खेलों और छात्रवृत्ति में ,जो महिलाओं के लिए अलग चुने गए हैं, बालकों और पुरुषों, जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, को शामिल करना, महिलाओं के प्रति बहिष्कार के समान है.

इस बात से चिंतित होते हुए की "यौन" और "लिंग पहचान" के समिश्रण के कारण रोज़गार, समान वेतन, नैतिक भागीदारी और राज्य धन के वितरण से सम्बंदित कानून, नीति और कार्यों की योजनाओं में गलत और ब्राह्मक डाटा का उपयोग हो रहा है. इस से प्रभावी तरीके जो महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ बहिष्कार को रक्त करने और महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है, उनको बाधा पहुंचाती है.

इस बात से चिंतित होते हुए की वह नीतियां जो "लिंग पहचान" के विचारों पर आधारित हैं, स्टेट एजेंसीज, सार्वजानिक निकाएँ और प्राइवेट संघटन उनका प्रयोग सिर्फ महिलाओं के उत्तरजीविता के लिए बनाये गए सर्विसेज, जैसे की पीड़ित महिलाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए बनाये गए स्वास्थ्य सेवा केंद्र, को धमकाते हैं.

इस बात से चिंतित होते हुए की "लिंग पहचान" जैसे विचारों का प्रयोग कर पुरुष और बालक एकल सेक्स जगहों में अनाधिकार प्रवेश पा रहे हैं. यह जगह हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और गौरव को ध्यान में रखते हुए ,उनकी सहायता के लिए बनायीं गयी हैं.

इस बात से चिंतित होते हुए की "यौन" और "लिंग पहचान" के समिश्रण के कारण, महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर गलत और ब्राह्मक डाटा का उपयोग हो रहा है जो उनके प्रगति के लिए बनाये गए प्रभावी तरीकों में बाधा पेष कर रही है.

इस बात से चिंतिति होते हुए की "लिंग पहचान" का प्रयोग ऐसे अपराधियों के यौन को धुंधलाता है जो बलात्कार और अन्य यौन सम्बंदित अपराध करते हैं. इससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाये गए प्रभावी तरीकों में बाधा पेश आती है.

इस बात से चिंतित होते हुए की महिलाओं के लिए बनाये गए ऐसे यौन सम्बंदित कार्यों ,नीतियों और प्रथाओं के मिटने से दशकों से यूनाइटेड नेशंस के प्रयत्न में जो की युद्ध क्षेत्र, शरणार्थी शिविर और कैद खानों में सिर्फ महिलाओं के सर्विसेज को महत्वता देती है, वहां मिश्रित सेक्स सुविधाओं से महिलाओं और बालिकाओं , ख़ास तौर पर पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और गौरव को चोट पहुँच सकती है.

इस बात पर ज़ोर देते हुए की "लिंग पहचान" जैसे विचारों को पूर्वी देशों में प्रोत्साहन दिया गया है और बलशाली संघटन इसे दुनिया भर में फैला रहे हैं. इनमें से कुछ देशों में "लिंग" शब्द देशी भाषा में होते ही नहीं हैं जिस से उन्हें समझने में कठिनाई होती है.

इस बात को पहचानते हुए की बच्चों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में यह बयान है की १८ साल के उम्र का हर व्यक्ति ,बच्चा है और १९५९ के डिक्लेरेशन में बच्चों के अधिकारों पर यह बयान है की " अपने शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण, हर बच्चे को ख़ास सुरक्षा ,जिसमे कानूनी सुरक्षा शामिल है, और देखभाल की आवश्यकता है".

इस बात को पहचानते हुए की बच्चों के अधिकारों पर हुए यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के आर्टिकल (३) के तहत यह बयान है की बच्चों से सम्बंदित सभी कार्य, बच्चों के हित को प्रथम मानकर किये जाएंगे .

इस बात का ध्यान रखते हुए की "लिंग पहचान" जैसे विचार, तेजी से, बच्चों पे "लिंग पुनर्मूल्याकां" जैसे तरीके उपयोग किये जा रहे हैं. ऐसे चिकित्सा हस्ताक्षेप का बच्चों के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर दुर्प्रभाव पढ़ सकता है. यौवन को दबाने वाले होर्मोनेस, क्रॉस सेक्स होर्मोनेस अथवा सर्जरी का प्रयोग बच्चों पर किया जाता है. यह बच्चे पूर्ण रूप से अपनी सहमति देने के काबिल नहीं होते हैं. ऐसे चिकित्सा हस्ताक्षेप से उनके शारीरिक स्वास्थ्य, बांझपन तथा मानसिकता पर गलत प्रभाव पढ़ सकता है.

इस बात को पहचानते हुए की यौवन को दबाने वाले होर्मोनेस ,क्रॉस सेक्स होर्मोनेस अथवा सर्जरी , महिलाओं के प्रति बहिष्कार को रक्त करने की कमिटी के जॉइंट जनरल रिकमेन्डेशन नो. ३१ के भाग ५ के अंतर्गत/ हानि कारक प्रथाओं से बच्चों के अधिकारों की कमिटी के जनरल कमेंट १८ के तहत, हानिकारक प्रथाएं है.

इस बात को ध्यान में रखते हुए की यौवन को दबाने वाले होर्मोनेस, क्रॉस सेक्स होर्मोनेस अथवा सर्जरी, हानिकारक प्रथाओं के इन चार कसौटी में खरे उतरते हैं:

अ) ऐसी प्रथाएं एक बच्चे के गौरव और अखंडता को नज़रअंदाज़ करते हुए उनके मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता, जो दो कन्वेंशंस में बयान किये गयें हैं , उनका उल्लंघन करते हैं. इन कन्वेंशंस में इस बात को माना गया है की ऐसे चिकित्सा हस्ताक्षेप से उनके शारीरिक स्वास्थ्य,बांझपन तथा मानसिकता पर गलत प्रभाव पढ़ता है और बच्चे पूर्ण रूप से अपनी सहमति देने के काबिल नहीं होते हैं.

आ) यह प्रथाएं बच्चों के प्रति बहिष्कारी और हानिकारक हैं क्यूंकि इनसे बच्चों पर दुर्प्रभाव पड़ता है. उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्तिथि को इससे नुक़सान पहुँच सकती है और उन्हें समाज में पूरी भागीदारी से अपने सामर्थ्य तक पहुँचने से रोक सकती है.ऐसी प्रथाओं का गलत असर लम्बे समय तक बच्चों के शारीरिक और मानसिक अवस्था पर होती है जिस से उन्हें स्थायी रूप से कमजोर स्वास्थ्य और मानसिक कठिनाइयाँ जैसे बांझपन या लम्बे समय तक दवाइयों पर निर्भर कर देती हैं.

इ) यह उभरती प्रथाएं ऐसी समाज द्वारा सुझाई गयी हैं जो पुरुष के प्रधानता और बच्चों और महिलाओं के प्रति बहिष्कार को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है. यह बहिष्कार यौन, लिंग, उम्र और कई अन्य दिलचस्प विषयों पर आधारित है. यह सारे विषय "लिंग पहचान" जैसे विचारों से उभरती हैं जो की यौन भूमिकाओं के स्टीरोटाइप्स पर आधारित हैं.

ई) यह प्रथाएं बच्चों पर परिवार, बिरादरी के लोग और समाज द्वारा थोपे जाते है. इसमें उस पीड़ित बच्चे की पूर्ण सहमति भले हो न हो.

इस बात से चिंतित होते हुए के कुछ अंतराष्ट्रीय दस्तावेजों में, जो की अनिवार्य नहीं है, यह दावा किया जा रहा है के बच्चों में "लिंग पहचान " जनम के समय होता है जिसकी सुरक्षा UNCRC के आर्टिकल ८ के तहत उसी तरह की जानी चाहिए जैसे की नागरिकता की पहचान को की जाती है क्योंकि यह बच्चे का मानव अधिकार है. इस दावा के अनुसार बच्चे विपरीतलिंगी पैदा होते हैं. इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है.

<u>आर्टिकल १:</u>

<u>इस बात को पुनः स्थापित करते हुए की महिलाओं के अधिकार यौन पर आधारित हैं.</u>

महिलाओं और बालिकाओं के बहिष्कार से स्वतंत्रता पाने के अधिकारों में राज्य को यौन के वर्ग पर ध्यान देना चाहिए, "लिंग पहचान" पर नहीं.

अ) इस घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए "महिलाओं के प्रति बहिष्कार" का मतलब " यौन के आधार पर किसी भी तरह का भेद भाव, रोक टोक या बहिष्कार जिसके कारण महिलाओं के , वैवाहिक स्तिथि के निरपेक्ष, पुरुष और महिला को समान दर्जा देते हुए , आर्थिक, सामाजिक,नैतिक, सांस्कृतिक या कोई भीं मानव अधिकार रक्त हो" (CEDAW, आर्टिकल 1).

राज्य इस बात को समझें की पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, उन्हें कानूनन , नैतिक या समाजिक रूप से महिला वर्ग में शामिल करना महिलाओं के प्रति बहिष्कार के समान है और उनके यौन पर आधारित अधिकारों को नज़र अंदाज़ करता है.

राज्य इस बात को समझें की पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं,उन्हें महिला वर्ग में शामिल करने से वह समलैंगिक वर्ग में भी शामिल हो जाते हैं. इस से समलैंगिकों के यौन पर आधारित मानव अधिकार नज़र अंदाज़ होते हैं और यह महिलाओ के प्रति बहिष्कार के समान है.

आ) राज्य "हर क्षेत्र में , ख़ास कर नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में , ऐसे सही तरीके अपनाएंगे जिससे महिलाओं का पूर्ण विकास और प्रगति हो. इस से वह पूर्ण रूप से अपने मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का, पुरुषों के समान, आनंद उठा सकें. (CEDAW आर्टिकल ३ के तहत)

कानून नीति और प्रथा में यह परिभाषाएं शामिल हैं - महिला वर्ग का मतलब एक युवा महिला, समलैंगिक वर्ग का मतलब एक युवा महिला जिसकी यौन अभिविन्यास अन्य युवा महिलाओं की ओर है और माँ वर्ग का मतलब एक स्त्री पालक है और वह पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, वह वर्जित हैं.

इ) राज्य "महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के बहिष्कार को स्वीकार न करें और बिना विलम्ब के सही तरीके अपनायें जिन से महिलाओं के प्रति बहिष्कार रक्त हो.

ऐसी सारी नीतियों को रक्त किया जाए जो पुरुष ,जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं , को शामिल करती हैं. उन्हें शामिल करने से महिलाओं की सुरक्षा, गौरव और समानता में कटाव होता है.

ई) राज्य पर इस बात का दाइत्व है की वह "महिला" या " बालिका" शब्द या ऐसे शब्द जो उनके शरीर के अंगों या उनके शारीरिक कार्यों से सम्बंदित हो ,उनका प्रयोग करते वक़्त , सनातन शब्दावली का प्रयोग करें. इस बात का ध्यान हर संघटन,सेवा और दस्तावेज़ में रखा जायेगा . " महिला" शब्द के मतलब में पुरुष को नहीं शामिल किया जायेगा.

<u>आर्टिकल २:</u>

<u>इस बात को पुनः स्थापित करते हुए - मातृत्व की हैसियत केवल एक महिला की है</u>

अ) CEDAW "मातृत्व के सामाजिक महत्त्व" पर जोर देती है और आर्टिकल १२ (२) के तहत यह बयान करती है की "स्टेट पार्टीज इस बात पर ध्यान देंगे की महिलाओं को गर्भ और शिशु जन्म के दौरान और प्रसव के बाद, सभी उचित सुविधाएँ उपलब्ध हों.

आ) मातृत्व अधिकार महिलाओं के गर्भावधि और जन्म देने के अद्वितीय क्षमता पर आधारित है. पुरुषों और महिलाओं के शारीरिक और जैविक अभलक्षण उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं. राज्य को यह समझना चाहिए की पुरुषों को ,जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, उन्हें माँ के वर्ग में शामिल करने से और ठीक वैसे ही महिला जो पुरुष "लिंग पहचान " का दावा करते हैं, उन्हें पिता के वर्ग में शामिल करने से , महिलाओं के प्रति बहिष्कार के समान है क्योंकि इस से महिलाओं की विशेष हैसियत और यौन सम्बंदित मातृत्व अधिकार रक्त होते है.

इ) राज्य ध्यान दे की 'माँ' शब्द और ऐसे शब्द जो एक महिला के प्रजननीय से सम्बंदित है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय, सनातन शब्दावली का प्रयोग करें.

इस बात का ध्यान हर संघटन, सेवा और दस्तावेज़, जिसमे मातृत्व का जिक्र हो, में रखा जायेगा."माँ" शब्द का मतलब पुरुषों को शामिल करने के लिए नहीं बदला जायेगा.

<u>आर्टिकल ३:</u>

<u>महिलाओं के शारीरिक और प्रजननीय अधिकारों को पुनः स्थापित करते हुए.</u>

अ) महिलाओं और बालिकाओं के प्रजननीय अधिकार और उस से सम्बंदित सभी सेवाओं को राज्य बिना किसी बाधा के उन तक पहुंचाएगा.

आ) राज्य इस बात को पहचाने की ज़बरदस्ती गरब धारण कराना और महिलाओं के प्रजननीय क्षमता का मातृत्व अधिभार जैसे प्रथाओं से उत्पादिक प्रयोग करना ,उनके शारीरिक और प्रजननीय अधिकारों को भंग करता है और ऐसे यौन आधारित बहिष्कार को रक्त करने की आवश्यकता है.

इ) राज्य इस बात को पहचाने की ऐसे चिकित्सा अनुसंसांधन जो पुरुषों को गरब धारण करने और जन्म देने के काबिल बनाती है वह महिलाओं के शारीरिक और प्रजननीय अधिकारों को भंग करती है और ऐसे यौन आधारित बहिष्कार को रक्त करने की आवश्यकता है.

<u>आर्टिकल ४</u>

<u>महिलाओं के विचार और अभिव्यक्ति की स्वंतंत्रता को पुनः स्थापित करता है</u>

अ) (ICCPR ,आर्टिकल, १९ (१)) के तहत राज्य इस बात का दावा करें की महिलाएं "लिंग पहचान" से सम्बंदित अपने "विचारों को प्रस्तुत" करने में कोई शर्म, हानि या दंड का भय महसूस न करें.

आ) (ICCPR, आर्टिकल १९ (२)) के तहत राज्य महिलाओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता , जिसमे यह अधिकार भी शामिल है की वह हर तरह की जानकारी, लिखित ,मौखिक या छापित रूप में ले या दे सकती हैं. इसमें "लिंग पहचान" पर अपने विचार वह बिना किसी शर्म ,हानि या दंड के भय के स्वतंत्रता से दे सकती है.

इ) राज्य को इस बात का दावा करना चाहिए की हर प्रसंग में ,हर इंसान औरों को उनके "यौन" के आधार पर और न की "लिंग पहचान" के आधार पर वर्णित करे. राज्य इस बात को पहचाने की जो स्टेट एजेंसीज, सार्वजनिक निकाएँ और प्राइवेट संघटन, व्यक्तियों पर यह जोर देती हैं की वह "लिंग पहचान" और न की "यौन" से सम्बंदित शब्दों का इस्तमाल करें, वह महिलाओं के प्रति बहिष्कार है. राज्य उचित तरीकों से इसे रक्त करे.

ई) राज्य किसी भी तरह के आज्ञा या दंड को रोके जो ऐसे व्यक्ति पर लागू करने की कोशिश हो, जो औरों को "लिंग पहचान "के बल पर पहचानने से मुकरे.

<u>आर्टिकल ५:</u>

<u>महिलाओं के शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार को पुनः स्थापित करता है</u>

महिलाओं के शांतिपूर्वक एकत्रित होने के और अन्य लोगों से मिलने की स्वतंत्रता को राज्य सुनिश्चित करे (ICCPR आर्टिकल २१ और २२). इसमें महिलाओं को अपने यौन से पहचान करने और यौन सम्बंदित

रूचि से एकत्रित होने के अधिकार, समलैंगिकों के सामान्य यौन अभिविन्यास रूचि से एकत्रित होने के अधिकार भी शामिल हैं. इसमें पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं वह शामिल नहीं हैं.

<u>आर्टिकल ६</u>

<u>महिलाओं के यौन पर आधारित, राजनैतिक भागीदारी को पुनः स्थापित करता है</u>

अ) राज्य ऐसे सारे उचित तरीके अपनाएं जिस से महिलाओं के प्रति राजनैतिक और समाजिक भहिष्कार रक्त हो. (CEDAW, आर्टिकल ७)

इसमें वह हर बहिष्कार शामिल है जैसे की महिला वर्ग में ऐसे पुरुषों को शामिल करना जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं. ऐसे सारे तरीके जो ख़ास तौर पर महिलाओं के मताधिकार, चुनाव की पात्रता ,सरकारी नियमों और नीतियों को बनाने और लागू करने की भागीदारी, सार्वजनिक पद धारण, सार्वजनिक कार्यों के प्रदर्शन और समाजिक और राजनैतिक से जुड़ी हुई गैर सरकार संघटनों और संघों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाये गए हैं, वह उनके यौन पर आधारित हों. इसमें पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं उन्हें शामिल कर, महिलाओं के प्रति बहिष्कार न करें.

आ) राज्य इस बात का दाइत्व ले की स्टेट पार्टीज उन उचित, अस्थायी तरीकों को भी अपनाएं जो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावे देने के लिए बनायीं गयी हैं." (CEDAW, आर्टिकल ४) सिर्फ महिलाओं के लिए है और पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, उन्हें इसमें शामिल कर, महिलाओं के प्रति बहिष्कार नहीं किया जायेगा.

<u>आर्टिकल ७</u>

<u>महिलाओं के पुरुषों के समान अवसर प्राप्त होने के अधिकार, ख़ास कर खेल कूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में उनके अधिकार को पुनः स्थापित करता है.</u>

CEDAW के आर्टिकल १० (ग) यह प्रदान करता है की स्टेट पार्टीज इस बात को सुनिश्चित करे की खेल कूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए." इसमें महिलाओं और बालिकाओं के एकल लिंग खेल कूद और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने के अधिकार शामिल हैं. इसमें निष्पक्षता और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए , उन पुरुषों को जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, का प्रवेश, टीमों, प्रतियोगिता, सेवाएं और कपडे बदलने वालों कमरों में, महिलाओं के प्रति बहिष्कार मानकर रोका जाए.

<u>आर्टिकल ८</u>

<u>महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रक्त करने की आवशयकता को पुनः स्थापित करते हुए</u>

अ) राज्य को इन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए "अन्र्राष्ट्रीय सहयोग के दायरों के अंदर, जहां ऐसी सुविद्याएँ हो या ऐसी सुविधाओं की ज़रुरत हो, हिंसा पीड़ित महिलाएं और उनके बच्चों को ख़ास सहायता प्राप्त हो. उन्हें पुनः स्थापित करना, बच्चों की देख रेख, चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और ऐसे कार्यक्रम जो उनके सुरक्षा और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, शामिल हैं. (UNDEVW आर्टिकल४ (ग))

ऐसे तरीकों में, एकल सेक्स सेवाएं और जगह जहां महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, गोपनीयता और गौरव प्राप्त हो, भी शामिल हो.

ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले पब्लिक या प्राइवेट संघटन, यौन के आधार पर और न की "लिंग पहचान" के आधार पर यह सेवाएं प्रदान करेंगे और इन जगहों पर कर्मचारी महिला होंगे जो अपने यौन पर और न की "लिंग पहचान" के आधार पर वहां सेवा प्रदान करेंगे.

आ) एकल सेक्स के नियमों में हिंसा से पीड़ित महिलाएं, बलात्कार सहायता केंद्र, विशेष अस्पातल, विशेष पुलिस जांच पड़ताल सुविधाएं, और घरेलू हिंसा से भागे बच्चों और महिलाओं के लिए आश्रय शामिल हैं. इसमें ऐसी हर सेवा शामिल है जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, गोनियता और गौरव को ध्यान में रखती है जैसे कारागार, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, पदार्थ दुरूपयोग पुनर्वास केंद्र, बेघर को आश्रय, शौचालय, नहाने और कपडे बदलने के कमरे और अन्य बंध कमरे जहां लोग ठहरे हों या अनिष्ट की स्तिथि में हों. महिलाओं और बालिकाओं के लिए बनायीं गयी एकल सेक्स सुविधएं,उपलब्धि और गुणवत्ता में, पुरुषों और बालकों के लिए बनायीं गयी सुविधाओं के समान हो. इन सुविधाओं में पुरुष जो महिला "लिंग पहचान" का दावा करते हैं, उनका प्रवेश न हो.

इ) राज्य सुनिश्चित करें की " महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा , भिन्न प्रकार के हिंसा और हिंसा की वजह और गंभीरता , ऐसी हिंसा के परिणाम और हिंसा रोकने के सही तरीकों से सम्बंदित डाटा इकट्ठा करें और इस डाटा को लोगों के सामने पेष करें. (UNDEVW आर्टिकल ४ (क))

इस बात को मान्यता दी जाए की महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं को,यौन के आधार पर, पुरुषों से अधीन रखने का एक महत्वपूर्ण समाजिक तरीका है और महिलाओं के प्रति हो रहे हींसे के सही अनुसंधान और डाटा इक्कट्ता के लिए यह ज़रूरी है के अपराधियों को "यौन" पर और ने की "लिंग पहचान" के बलबूते पर पहचाना जाए.

"यौन विसमूहन डाटा ऐसी डाटा है जो यौन से क्रॉस क्लासिफाइड है और पुरुषो, महिलाओं, बालकों और बालिकाओं की जानकारी अलग -अलग देती है. यह डाटा सारे वर्गों की भूमिकाएं , उनके असली हालत और उनके हर सामाजिक स्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाती है . जब डाटा "यौन विसमूहन " नहीं होता है तब

असली समस्याओं और असमान्यताओं को समझना मुश्किल होता है" (UN Women, Gender Equality Glossary)

ई) राज्य संघटनों और यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनायीं गयी विश्लेषणों में समाजिक प्रवाह और समस्याओं को , जैसे विश्व सामाजिक स्तिथि पर रिपोर्ट, महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा का प्रवाह, शामिल करें. " (UNDEVW आर्टिकल, ५

इसके लिए यह ज़रूरी है की हिंसा के अपराधियों और पीड़ित महिलाओं की पहचान, पुलिस थानों ,स्टेट प्रॉसिक्यूटर्स के यहां और कटघरे में, "यौन" के बल बूते पर न की "लिंग पहचान" के बल बूते पर हो.

उ) राज्य " घरेलू कानून में ऐसे नागरिक, दंड विषयक,मज़दूर और प्रशसनीय प्रतिबंद बनाएं जिस से हिंसा पीड़ित महिलाओं का कष्ट निवारण हो और अपराधियों को दंड मिले. देशिये कानून में प्रदान किये गए न्याय के सारे अवसर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए जिस से उन्हें उचित और न्यायपूर्ण निवारण मिले . राज्य ऐसे निवारण अधिकारों के बारे में महिलाओं को बताएं.(UNDEVW ४(डी)).

इसमें शामिल, महिलाओं और बालिकाओं को अपने अपराधियों के यौन को पहचानने और उसके वर्णन करने का अधिकार है.सरकारी निकाय जैसे की पुलिस, स्टेट प्रॉसिक्यूटर्स, अथवा कटघरें , पीड़ित पर, अपने अपराधियों को "लिंग पहचान" से वर्णन करने का ज़ोर नहीं दे सकते.

आर्टिकल ९

बच्चों के सुरक्षा की ज़रुरत को पुनः स्थापित करते हुए

अ) "बच्चों से सम्बंदित सभी कार्य, जो पब्लिक या प्राइवेट समाज कल्याण संघटन, नीति के कटघरे प्रशासनिक अधिकारी या कानून के अधिकारी करें, बच्चों के हित को प्रथम मानकर किये जाएंगे." (UNCRC, आर्टिकल ३(१)) .

यौवन को दबाने वाले होर्मोनेस ,क्रॉस सेक्स होर्मोनेस अथवा सर्जरी जो "लिंग पुनर्मूल्याकां" के लिए किये जाते हैं उन से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य,बांझपन तथा मानसिकता पर गलत प्रभाव पढ़ता है और बच्चे पूर्ण रूप से अपनी सहमति देने के काबिल नहीं होते हैं. ऐसे चिकित्सा हस्ताक्षेप से उनके शारीरिक स्वास्थ्य,बांझपन तथा मानसिकता पर गलत प्रभाव पढ़ सकता है जिस से उन्हें स्थायी रूप से कमजोर स्वास्थ्य और मानसिक कठिनाइयां जैसे बांझपन या लम्बे समय तक दवाइयों पर निर्भर कर देती हैं. बच्चों पर ऐसी चिकित्सा होने से राज्य रोके.

आ) इस बात को पहचानते हुए की ऐसी चिकित्सा जो बच्चों के "लिंग पुनर्मूल्याकां " के लिए किये जाते हैं , महिलाओं के प्रति बहिष्कार को रक्त करने की कमिटी के जॉइंट जनरल रिकमेन्डेशन: ३१ के भाग ५ के

अंतर्गत/ हानिकारक प्रथाओं से बच्चों के अधिकारों की कमिटी के जनरल कमेंट: १८ के तहत, हानिकारक प्रथाएं है.

इ) राज्य सुनिश्चित करें की इन प्रथाओं पर आधारित डाटा जमा किये जाएं और ऐसी प्रथाओं को रक्त करने के लिए उचित कानून लागू किये जाएं. स्टेट प्रोविशंस में ऐसी प्रथाओं से बाधित बच्चों को उचित निवारण प्रदान करने के तरीके हों.

ई) राज्य इस बात को पहचाने की " यह हर बच्चे का अधिकार है की उसे सर्वोत्तम स्वास्थ्य और रोग निवारण सुविधाएं प्राप्त हो." (UNCRC, आर्टिकल 24). इसमें बच्चों के शरीक को पदार्थों या "लिंग पुनर्मूल्याकां" सर्जरी से सुरक्षित रखना भी शामिल है.

ु) राज्य सुनिश्चित करें की "बच्चों की देख रेख और सुरक्षा के लिए चलायी गयीं सभी संस्थाओं और सुविधाएँ, प्राधिकारी के सारे आज्ञाओं का, ख़ास कर जो बच्चों की सुरक्षा और स्वाथ्य से सम्बंदित हों, पालन करें." (UNCRC, आर्टिकल(३)). ऐसे संघटन जो "लिंग पहचान" को बढ़ावे देते हैं, या जिन्हे स्वास्थ्य का ज्ञान न हो या जो बच्चों की मानसिक अवस्था को समझने के काबिल नहीं है, उन्हें बच्चों के स्वाथ्य पर प्रभाव डालने का अधिकार नहीं है.

ू) राज्य "बच्चों को उनके काबिलियत के अनुसार उनके अधिकारों की ओर मार्ग दर्शन करने के लिए उनके माता पिता या उनके कानूनं रक्षक के जिम्मेदारी और अधिकारों को, प्रस्तुत कन्वेनशन के तहत, पहचानती है." (UNCRC, आर्टिकल ५) .

राज्य, सार्वजनिक निकाओं, पब्लिक/प्राइवेट बॉडीज, चिकित्सकों और बच्चों के हित के लिए काम कर रहे है कर्मचारियों को ऐसा कोई भी कार्य करने से रोकती है जिससे उसके माता पिता पर उनके बच्चों के "लिंग पहचान" बदलने का ज़ोर हो.

ये) राज्य इस बात को पहचाने की " शिक्षा का अधिकार , प्रगतिशील तौर पर, समान अवसरों के आधार पर हर बच्चे का अधिकार है." (UNCRC,आर्टिकल २८). यह बच्चों का हक़ है की पाठशाला के अभ्यासों में मानव के प्रजनन और जैविक प्रक्रिया का वर्णन उचित ढंग से शामिल हो और मानवों के यौन अभिविन्यास के अधिकार, बच्चों के प्रगति और मानसिक को ध्यान में रखते हुए, शामिल हो.

आई) राज्य इस बात को सुनिश्चित करें की शिक्षक ट्रेनिंग और प्रगति कार्यक्रमों के अभ्यासों में, मानव के प्रजनन और जैविक प्रक्रिया का वर्णन और मानवों के यौन अभिविन्यास, जिसमें यौन स्टेरोटाइप्स और होमोफोबिअ को ललकारना भी शामिल हो.

ओ) राज्य इस बात को माने की " शिक्षा का उद्देश्य, बच्चे को ज़िम्मेदार जीवन की ओर दर्शित करना होगा जिससे वह समज, शान्ति, संयम और समानता के साथ जी सके." (UNCRC, आर्टिकल २९)

औ) राज्य इस बात का ध्यान रखें की संघटन उनको दिए गए राज्य धन का प्रयोग ,शिक्षा संघटनों में,सेक्स स्टेरोटाइप और "लिंग पहचान" जैसे विचारों को बढ़ावा देने के लिए न करें.यह महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बहिष्कार है.

अहं) राज्य "बच्चों को हर तरह की हानि ,जो उनके हित के विपरीत हो, से सुरक्षित रखेगी." (UNCRC,आर्टिकल ३६) इसमें उचित और सही कानूनन तरीके जो निम्न लिखित प्रथाओं को रक्त करते

है, सनातन और उभरती प्रथाएं जो बालकों और बालिकाओं पर लिंग की भूमिकाओं पर आधारित स्टेरोटाइपेस लागू करते हैं, बच्चों को "गलत बदन में जन्म लेने" के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं, समलैंगिकों को "लिंग डिस्फोरिअ" से पीड़ित बतलाते हैं, बच्चों पर चिकित्सा का प्रयोग करके उन्हें बांझपन और अन्य स्थायी हानियों का शिकार बनाते हैं, शामिल है.

और जानकारी के लिए Womensdeclaration.com देखें.